इकाई 12 नियामक आयोग

संरचना

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 नियमन की प्रकृति

12.3 भारत में नियामक आयोग

12(ए) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

12(बी) पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण

12(सी) भारत का खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकारण

12.4 समस्या क्षेत्र

12.5 सारांश

12.6 संदर्भ लेख

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बादः

- विनियमन की अवधारणा को समझ सकेंगे;
- भारत में विभिन्न नियामक प्राधिकरणों पर चर्चा कर सकेंगे;
- समस्या क्षेत्रों पर विस्तृत जानकारी दे सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

स्वतंत्रता के आगमन ने भारत के सामाजिक–आर्थिक ढाँचे में राष्ट्रीय पुननिर्माण, सामाजिक न्याय, और आर्थिक विकास के प्रमुख उद्देश्यों के साथ कई बदलाव देखें। इसके कारण नीति निर्माण, प्रबंधन, और नियम बनाना सरकार का मुख्य दायित्व बन गया।

वर्तमान में, हम अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी को देखते हैं। इसका कारण मुख्यतः वित्तीय व कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र प्रौद्योगिकी में होने वाली निरन्तर प्रगति का भी उपयोग कर सकता है। अब सरकार को नागरिकों को एक विकल्प अनुकुल बाजार प्रदान करना था और प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रदर्शन में गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए अनेक सुधारों को भी लाना था।

आगामी अनुभाग भारत में नियामक आयोगों के बारे में व्याख्या करेगा। साथ ही इन तीन नियामक आयोगों पर भी चर्चा होगी।

12.2 नियमन की प्रकृति

अस्सी के दशक के अन्त से ही उद्योगों के लाइसेंस को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी कम्पनी के प्रवेश को अनुमति, निजी स्वामित्व वाली फर्मों में करों का उदारीकरण और

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सह–अस्तित्व को चिन्हित करते हैं।

नीति निर्माताओं ने सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए तीन प्रकार के नियमों को औपचारिक रूप से सम्मिलित किया।

1. आर्थिक विनियमन

ये आर्थिक या बाजार विफलताओं को लक्षित करने वाले नियम हैं। ये वे नियम हैं, जो बाजार को विकृत करने वाले आचरण को निस्काशित और दंडित करते हैं। जैसे विदेशी व्यापार अधिनियम के अंतर्गत महानिदेशक या ऐसे अधिकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उसका आयात निर्यात कोड नम्बर और सर्टिफिकेट/लाइसेंस को निलंबित और रद्द करने का अधिकार रखते हैं।

2. जनहित में विनियमन

ये नियम उन उद्योगों को लागू होते हैं, जहाँ जनहित सुविधाओं के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा किया जाना होता है। ये मानदण्ड, सार्वजनिक हितों से जुड़े होते हैं और इनको सुनिश्चित भी करते हैं-जैसे समुदायों को पीने के पानी का निःषुल्क वितरण, किसानों को कृषि के लिए निःषुल्क बिजली, बच्चों व वयस्कों के लिए निःषुल्क शिक्षा, समुदायों के लिए निःषुल्क स्वास्थ्य, तथा एक वहन करने योग्य कीमत तथा पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

3. पर्यावरण विनियमन

पर्यावरण की सुरक्षा समाज के लिए अनिवार्य है क्योंकि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण आर्थिक और सामाजिक विकास को सक्षम बनाता है। मिट्टी, जंगलों, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, पर्वतीय क्षेत्रों, वनस्पतियों और जीवों का अच्छा स्वास्थ्य मातष्–भूमि और उसके मौसम और जलवायु के लिए एक स्वास्थ्य भविष्य का प्रतीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत में व्यापार करने के आर्थिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों के मानकों का प्रावधान करता है, जिन्हें व्यापारी समुदाय द्वारा बरकरार रखा जाना होता है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऐसी संस्थाएं हैं, जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई पहल लेती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य हरे पर्यावरण के दुरूपयोग के लिए एक निवारक के रूप में काम करना और दुरूपयोग होने पर दंड देना होता है।

12.3 भारत में नियामक आयोग

नियमन : अवधारणा

उदारीकरण, निजीकरण, और वैष्वीकरण के आने के साथ नई आर्थिक नीति ने निजी कंपनियों व अंतरराष्ट्रीय और बहु–राष्ट्रीय कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश दिया। दूरसंचार की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, पेंशन के वितरण, खाद्य में सबसिडी, राजमार्गों और टोल मार्गों के निर्माण, और अन्य ऐसे क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों को निवेष करने का अवसर मिला। सार्वजनिक-निजी साझेदारी दो प्रारूपों में परिचालित थीः पहला, जिसके अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, संचालन (BOO) था; और दूसरे के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, संचालन, हस्तांतरण (BOOT) था।

नियमन एक ऐसे नियम या आदेश को संदर्भित करता है, जो सरकार के कार्यकारी प्राधिकारी या नियामक एजेंसी द्वारा जारी किए गए हैं। नियमन में ऐसे नियम हैं, जो सभी निजी और सार्वजनिक गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार, नियमन कुछ नियमों के निहितार्थ के साथ एक वांछित दिशा में निजी व्यवहार नियंत्रित करने और निगरानी करने का एक प्रयास है।

नियामक तंत्र आर्थिक दक्षता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि सरकार अब यह सुनिश्चित कर सकती है और निगरानी भी कर सकती है कि निजी क्षेत्र की कंपनियाँ नियामक एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों और मानकों का पालन कर रही हैं जिससे एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक, और और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगती है। यह नागरिकों को एक विकल्प अनुकूल बाजार प्रदान करता है और संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग, और सेवाओं के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है।

नियामक आयोग के उद्देश्य

नियामक आयोग के उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 39(C) के अनुसार निर्धारित किए गये हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. बेहतर गुणवत्ता और अच्छी सुविधाओं को साधारण मूल्य पर उपलब्ध कराना, जिससे उपभोगता के हितों की रक्षा की जा सके।
2. विभिन्न हितधारकों, जो इसमें सम्मिलित है, उनके बीच के संघर्ष को आपसी बातचीत के द्वारा एक बेतहर समाधान निकाला जा सके।
3. प्रतियोगिता, बाहुल्य और निवेष को प्रोत्साहन देना है।
4. धन उपलब्धता के आधार पर समाज कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संतुलन कायम करना।

अब हम, विभिन्न नियामक प्राधिकरणों पर चर्चा करेंगे।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

12(ए) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

नई आर्थिक नीति 1991 को अंतर्मुखी बनाने के साथ, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 तैयार की गई, जिसने अंततः भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की स्थापना, एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण के रूप में 1977 को हुई। यह विशेष रूप से दूरसंचार उद्योग में सार्वजनिक और निजी दोनों दूरसंचार कंपनियों के लिए एक समतल भूमिका चिहिन्त करने के लिए किया गया था।

इसके बाद एक नई दूरसंचार नीति, 1999 में बनाई गई, जिसके अंतर्गत ट्राई को दूरसंचार मुद्दों को विनियमित करने के लिए और शक्तियाँ प्रदान की गईं। निश्चित लाइसेंस शुल्क से बचने के लिए राजस्व बंटवारे की अवधारणा प्रारम्भ की गई और साथ ही, राष्ट्रीय और अंतरर्राश्ट्रीय लंबी दूरी की योजनाएँ भी। बीएसएनएल का गठन इंटरनेट के भारतीय बाजारों में प्रवेश होने के साथ हुआ।

संगठनात्मक संरचना

इसमें दो पूर्णकालिक और दो अंषकालिक सदस्यों के साथ एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिकतम तीन वर्ष के लिए पद धारण करते हैं या जब तक कि उनकी आयु 65 वर्ष की ना हो, जो भी पहले आता है। ट्राई का सचिवालय एक सचिव के नेतृत्व में होता है और अलग–अलग गतिविधियों को देखने के लिए इसमें दस प्रभाग होते हैं।

1. फिक्स्ड नेटवर्क
2. मोबाइल नेटवर्क
3. अभिसरित नेटवर्क
4. आर्थिक विभाजन
5. वित्तीय विश्लेषण
6. प्रशासन और कार्मिक
7. सेवाओं की गुणवत्ता
8. कानूनी प्रभाग
9. प्रसारण और केबल सेवाएँ
10. विनियामक प्रवर्तन

कार्य

ट्राई उन नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है, जो एक सेवा प्रदाता में होना आवश्यक है और साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रदाता द्वारा इनकी अनुपालना हो रही है। यह गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा इनका समावेश सुनिश्चित करता है। इसके नियमों और शर्तों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार क्षेत्र में विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए यह कार्यरत प्रौद्योगिकी जैसे स्पेक्ट्रम का कुशल प्रबंधन को भी देखता है। यह क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का निरीक्षण और संचालन करता है। यह विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर–संपर्क के नियमों और शर्तों को तय करता है और साथ ही साथ तकनीकी अनुकूलता, प्रभावी

परस्पर–क्रिया और पारदर्शिता को सक्षम बनाये रखने के लिए इनका रिकॉर्ड भी रखता है। यह विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच राजस्व की व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जो राजस्व उनकी सेवाओं से प्राप्त होता है।

सेवा की गुणवत्ता

ट्राई की नीति की धारा 11 (b)(v) यह निर्धारित करती है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए ट्राई ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियत कालीन निगरानी करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सेवाएँ सार्वजनिक हित में हैं। ट्राई प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा इन मानकों की अनुपालना की रिपोर्ट लेता है और तिमाही आधार पर निगरानी करता है।

उपभोक्ता संरक्षण

ट्राई ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई पहल की हैं। इसने गैर सरकारी संगठनों और समर्थक समूहों के परामर्ष से एक चार्टर तैयार किया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता के साथ दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान किया जा सके। साथ ही, ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए मई 2007 में एक शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की है। एक सेवा केन्द्र के अंतर्गत एक कॉल सेंटर, नोडल अधिकारी, और अपीलिय प्राधिकरण की तीन स्तरीय नोडर संचरना प्रदान की जानी है। एक दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोश भी स्थापित किया गया है, जिससे अध्ययन और बाजार अनुसंधान परियोजनाएँ की जा सके। साथ ही, एक 'टेलीकॉम अनसॉलिसिडेट कॉमर्षियल कम्युनिकेषंस रेगुलेषंस (2007)' को भी बनाया गया है, जिसमें ऐसी रचना की गई है, जो राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉल पर अंकुष लगाता है।

टैरिफ विनियमन

ट्राई के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ नियमों के लिए आदेश पत्र तैयार करना है, जिससे उपभोक्ताओं को समर्थ और प्रभावी सेवाएँ प्रदान की जा सके। इसके साथ ही, टैरिफ नीति की योजना इस तरह में बनाई जाती हैं, जिससे ग्राहकों को घटते टैरिफ का लाभ मिल सके। ट्राई ने सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में अपने संबंधित टैरिफ योजनाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व

दूरसंचार नीति (1999) के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं की सार्वभौमिकता से संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नियामकिय प्राधिकरण आपॅरेटरों पर सार्वभौमिक सेवाओं पर कर लगाते हैं, जो उनके द्वारा कमाये राजस्व का एक प्रतिशत होता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं की वृद्धि के लिए युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई और भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम (2006) के साथ देशभर में इंटरनेट जुटाने के लिए विभिन्न उपाय इस संबंध में ट्राई द्वारा किये हैं, जो एक उल्लेखनीय पहल है।

अब हम, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पर चर्चा करेंगे।

12(बी) पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

भारत सरकार ने वर्ष 1999 में ओ.ए.एस.आई.एस. (OASIS) अर्थात् वष्द्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना में समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए। ओएएसआईएस के सुझावों के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों ने एक नई पेंशन प्रणाली की पहल की। इसके सुझावों के आधार पर भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ाने, विकसित, और नियमित करने के लिए अगस्त 23, 2003 को अंतरिम पेंशन विनियामक निधि प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) जनवरी 1, 2004 में प्रारम्भ हुई। इस योजना की सदस्यता भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी और निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को दी जाती है। प्राधिकरण ही एनपीएस को विनियमित करता था।

बाद में, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम सितम्बर 19, 2013 को पारित हुआ और फरवरी 1, 2014 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत गठित एनपीएस को पीएफआरडीए विनियमित करता है।

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है और सदस्यों की संख्या पाँच से अधिक नहीं होती है। इनमें से तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और वे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

कार्य

पीएफआरडीए अधिनियम की उपधारा (2) के खंड (ओ) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ निहित हैं।

पीएफआरडीए के निम्नलिखित कार्य हैं।

1. राष्ट्रीय पेंशन योजना के क्रमबद्ध विकास को विनियमित करना, बढ़ावा देना, और सुनिश्चित करना, कि ये ग्राहकों के हितों के अनुरूप है।
2. पंजीकरण को नवीनीकृत, संषोधित, निलंबित या रद्द करने के लिए एक मध्यस्थ को प्रमाण–पत्र जारी करना।
3. ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण की रचना करना।
4. पेंशन योजनाओं से जुड़े व्यवसायिक संगठनों के विकास को बढ़ावा देना।
5. मध्यस्थों और ग्राहकों के बीच विवादों के सम्बन्ध में निर्णय देना।
6. मध्यस्थों को प्रलेखन करने के लिए निर्देश देना, जिससे षोध अध्ययन व परियोजनाओं अध्ययन में सहायता मिल सके।
7. पेंशन, सेवानिवषत्ति बचत, और संबंधित विषयों पर ग्राहकों और आम जनता को शिक्षित करने के लिए कदम उठाना।
8. मानक और निष्पादन निदेशचिन्ह निधारित करना।
9. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाना।

10. पेंशन फंड से संबंधित संगठनों के ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करना।

अब हम, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) पर चर्चा करेंगे।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

12(सी) खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई)

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को सरकार द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम सभी खाद्य मामलों के लिए एकल प्राधिकरण की स्थापना करता है, जो खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों में एक स्वायत्त संस्थान होगा।

संगठनात्मक संरचना

इस प्राधिकरण की रचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी है। यह मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन के उत्तरदायी है।

एफ.एस.एस.ए.आई. के अन्तर्गत एक अध्यक्ष होता है, जो भारत सरकार के सचिव के पद के समतुल्य होता है। अध्यक्ष के साथ 22 सदस्यों की एक टीम होती है, जिसमें एक तिहाई महिलाएँ सदस्य होती हैं। सात सदस्य क्रमशः कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, उपभोक्ता मामलों, खाद्य प्रसंस्करण, विधायी मामलों, और छोटे उद्योगों के विभागों से पदेन सदस्य है। खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि, उपभोक्ता संगठनों के दो सदस्य संबंधित क्षेत्र से तीन वैज्ञानिक, क्रमावर्तन रूप में नियुक्त पाँच सदस्य, किसान संगठन के दो सदस्य, और खुदरा संगठन से एक प्रतिनिधि भी प्राधिकरण में होंगे।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्शों की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, (इनमें से जो भी पहले आता हो) होगा। यह प्रावधान पदेन सदस्यों के लिए नहीं है।

कार्य

एफ.एस.एस.ए.आई. खाद्य सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित मामलों को देखता है। प्राधिकरण विज्ञान आधारित मानक तैयार करता है। जिससे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री, और आयात का विनियमन हो सके। इससे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित व पौश्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं।

1. खाद्य पदार्थों के संबंध में मानकों और दिशानिर्देशों की जारी करना और खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. निकायों की मान्यता के लिए क्रियाविधि व दिशा–निर्देश जारी करना, जो खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा और प्रबंधन का प्रमाणीकरण करते हैं।
3. प्रयोगषालाओं की मान्यता के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना।
4. केन्द्र व राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह व तकनीकी सहायता देना, विशेषकर, उन क्षेत्रों के लिए नियम बनाने में, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा व उत्पादन पर पड़ता है।
5. भोजन की खपत, संक्रामक जोखिम का विस्तार–क्षेत्र, जैविक जोखिम की व्यापकता, पके हुए भोजन में दूशक आदि के संदर्भ में आँकड़ों को एकत्र करना तथा उनका विश्लेषण करना, जिससे तत्काल सतर्क प्रणाली का आहवान किया जा सके।

6. देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना, जिससे खाद्य सुरक्षा से संबंधित स्थानीय स्तर के संस्थानों जैसे कि पंचायतों और जनता तथा उपभोक्ताओं को तेजी से विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

7. उन लोगों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना, जो खाद्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथ ही, खाद्य क्षेत्र में आए हुए नए प्रवेशकों के लिए भी।

12.4 समस्या क्षेत्र

विनियामक आयोगों ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्यमों के लिए एक समतुल्य क्षेत्र को सक्षम करके भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बदलाव को प्रदर्षित किया है। हालाँकि इन आयोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके प्रभावी प्रदर्शन में बाधाएँ पैदा करते हैं। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

1. सरकार, नियामक प्राधिकरण, और न्यायपालिका की भूमिकाओं में स्पष्ट सीमांकन का अभाव।
2. अच्छी तरह से स्थापित सेवा बेचमार्क, प्रदर्शन मानकों, और प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति की अनुपस्थिति के कारण सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
3. योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपभोक्ता की भागीदारी नहीं है।
4. कर्मियों के मामलों में विशेषज्ञ दृष्टिकोण की अनुपस्थिति में एक सामान्यवादी दृष्टिकोण प्रबल होता है।
5. नियामक निकायों के कामकाज में एक निरंतर राजनीतिक हस्तक्षेप उपस्थित है, विशेषकर खुले, प्रतिस्पर्धी, और मुक्त बाजार प्रथाओं के मामलों में।

गतिविधि

आप सार्वजनिक–निजी भागीदारी का कोई भी एक केस को ले सकते हैं और संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिपादित समतुल्य क्षेत्र पर जानकारी ले सकते हैं।

12.5 सारांश

यद्यपि, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासात्मक और नियोजित उद्देश्यों का उचित तरीके से कार्यान्वयन किया जा रहा था, परन्तु अपर्याप्त धन व प्रतिस्पर्धा के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता को अनुभव किया गया। यह विशेषकर अधिक संसाधनों जैसे वित्तीय संसाधनों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करना था। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों की भागीदारी कुछ बेड़ियों के साथ अस्तित्व में आई क्योंकि अब सरकार को एक ओर तो नागरिकों को एक विकल्प अनुकुल बाजार प्रदान करने का विषय सामने आया तथा दूसरी ओर प्रदान की जा रही सेवाओं के निष्पादन तथा गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए अनेक सुधारों को सम्मिलित करना था।

उदारीकरण, निजीकरण, और वैष्वीकरण के आने के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक नीति बनाई गयी, जिसने निजी कंपनियों तथा अंतरराष्ट्रीय और बहु–राष्ट्रीय कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्रों- राजमार्गों व टोल मार्गों का निर्माण, दूरसंचार, बिजली आपूर्ति, पेन्शन- में आने के लिए उनके प्रवेश को उदार बनाया। जैसे भोजन, राजमार्ग और टोल सड़कों के निर्माण इससे विनियमन की अवधारणा का उदभव हुआ।

विनियामक तंत्र आर्थिक दक्षता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि सरकार अब यह सुनिश्चित कर सकती है और निगरानी भी कर सकती है कि निजी क्षेत्र की कंपनियाँ नियामक एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों और मानकों का पालन करती है, जिससे एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक, और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगती है। यह नागरिकों को एक विकल्प अनुकूल बाजार प्रदान करता है और अंत में, संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग और सेवाओं के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो नियामक एजेंसियों के काम–काज में बाधा उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम, यह है कि सरकार, नियामक प्राधिकरण, और न्यायपालिका की भूमिकाओं में अभी तक स्पष्ट सीमांकन नहीं है। इसके कारण सेवा बेंचमार्क, प्रशिक्षित व विशिष्टता प्राप्त मानव संसाधान, उपभोक्ता की भागीदारी, विशेषज्ञ दृष्टिकोण आदि अनुपस्थित होते हैं, जिससे विशेषज्ञों की तुलना में सामान्यज्ञों की उपस्थिति तथा राजनीतिक हस्ताक्षेप अत्यधिक हो गया है। इससे नियामकिय कार्यों में अत्यन्त रूप से बाधा आती हैं।

समग्र रूप से, नियामक आयोग उन उद्देश्यों को पूरा करने में बहुत सीमा तक सफल है, जिन उद्देश्यों के लिए इन्हें स्थापित किया गया था। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, गुणवत्ता व सही कीमत, विश्वसनीय सुविधाएँ की उपलब्धता व सुनिश्चितता, समाधान तंत्र द्वारा विभिन्न हितधारकों के बीच समझौता, सतर्क निगरानी और समीक्षा के कारण इन नियामक आयोगों ने भारत में एक प्रतिस्पर्धा, बहुलता, और निवेष समर्थक पर्यावरण को बढ़ावा दिया है।

12.6 संदर्भ लेख

अग्रवाल, ओ.पी., एन.ए., रोल ऑफ इन्डिपेन्डेन्ट रेगुलेषन इन इकॉनॉमिक रिफॉर्मर्स, कट्स इन्टरनेशनल, जयपुर http://www.teriin.org/upfiles//pub/papers/ft25.pdf

अनंत टी.सी.ए. और सुंदर, 2005, इन्टरफेस बिटविन रेगुलेषन एण्ड कॅम्पटिषन लॉ, पी.एस. मेहता की टूवार्डस ए फंक्शनल कॉम्पटिषन पॉलिसी फॉर इंडिया, सी.आई.आर.सी. जयपुर

कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इंफ्राट्रक्चर रेगुलेटरी इष्यू, 2004, डिस्कषन पेपर, सी.यू.टी.एस. सी.–सी.आई.ई.आर, जयपुर

चटर्जी विनायक एण्ड जे. सागर एसोसिएट, 2006–07, रिक्मंडेड फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव द रेग्यूलेटरी इफेक्टिवनेष इन इण्डिया इंफ्राटक्चर सेक्टर्स, सी.आई.साई., जयपुर

सी.यू.टी.एस. इंटरनेशनल, अक्टूबर 2006 क्रियेटिंग रेगुलेटर्स इज़ नॉट द एंड, द की इज द रेगुलेटरी प्रोसेस–ए रिसर्च रिपोर्ट, जयपुर

इलेविन्थ फाइव ईअर प्लार, 2007–2012, इक्लूसिव ग्रोथ, वाल्यूम I, प्लानिंग कमिशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू देलही।

फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट, 2006, मिनिस्टरी ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, न्यू देल्ही, http:// www.fssai. gov.in/ home/ fss-legislation/ food-safety-and-standards-act.html

मेहता प्रदिप, एस., 2009, कम्प्टीषन एण्ड रेग्यूलेषन इन इण्डिया, 2009, सी.यू.टी.एस. इंटरनेशनल, जयपुर

मरीयम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी, 2009, रेग्यूलेषन, रिट्रिव फ्रॉम www.merriam-webster.com/dictionary/regulation

पॉसनर रिचर्ड ए, 2004, थ्योरिज़ ऑफ इकॉनॉमी रेगूलेषन, वर्किंग पेपर, नम्बर 41, सेन्टर ऑफ इकॉनॉमिक एनालाइसिस ऑफ हयूमन वेलफेर एण्ड सोशल इंस्टीट्यूषन, यूएस रेग्यूलेट्री फ्रेमवर्क ऑफ इंफ्राट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया, सी.यू.टी.एस. सी–सी.आई.ई.आर, जयपुर

सिंह, विजय वीर, रेग्यूलेटरी मैनेजमेन्ट एण्ड रिफॉमर्स इन इण्डिया, ओ.ई.सी.डी., कट्स इन्टरनेशनल, जयपुर

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY